



सामग्री प्रबंधन विभाग

विक्रेता पंजीकरण

1.0 सही विक्रेता का चयन (विश्वसनीय विक्रेता) सामग्री प्रबंधन के उद्देश्यों में से एक है। अनुमोदित आपूर्तिकर्ता के रूप में फर्म का पंजीकरण फर्मों की क्षमता सह क्षमता से सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बाद किया जाता है और इसे अनुमोदित विक्रेता की सूची में शामिल किया जाता है। फर्मों के कार्य निष्पादन के आधार पर समय-समय पर सूची अद्यतन की जाएगी और जो फर्मस अविश्वसनीय साबित होंगे उन्हें बाहर किया जाएगा।

2.0 आईआरएस द्वारा संविदा की शर्तें सामग्री आपूर्ति के लिए लागू होंगी और ये कोंकण रेलवे की वेबसाइट www.konkanrailway.com पर उपलब्ध है। संविदा की विशेष शर्तें और अन्य संविदा कानून समय-समय पर लागू होंगे। विक्रेताओं को सलाह दी जाती है कि वे विक्रेता पंजीकरण से पहले इसे पढ़ें।

3.0 पंजीकरण के लिए मानदंड

1. जो फर्म भारत या विदेश में स्थित है और वह व्यवसाय के विनिर्माण, स्टोकिंग या भंडार विपणन में हैं वही कोंकण रेलवे के साथ पंजीकरण के लिए पात्र हैं बशर्ते कि वे निर्धारित विक्रेता पंजीकरण नीति का पूरा पालन करती हैं।
2. जो फर्म रु०1लाख से अधिक मूल्य के आदेश हासिल करती हैं फर्मों को निरपवाद रूप से एक निर्माता या उनका अधिकृत एजेंट होना चाहिए।
3. फर्म के पास रेल, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी विभागों और प्रतिष्ठित प्रा. लिमिटेड फर्मों द्वारा दिए गए आदेशों के संतोषजनक निष्पादन के साथ पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम रु.20 लाख की बिक्री का कारोबार किया होना चाहिए।
4. जोनल रेलवे/उत्पादन इकाइयों/डी.जी.एस.एंड डी के साथ एक ही व्यापार समूह/मद है जिसके लिए वे पंजीकृत हैं तो वे अपने आप पंजीकरण के लिए पात्र हैं।
5. एन.एस.आई.सी.के साथ एस.एस.आई.इकाइयां पंजीकृत है और उनके पास पर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण के उपाय हैं जिसके लिए वे पंजीकृत हैं तो वे अपने-आप पंजीकृत होंगे।
6. फर्म के पास बिक्री कर/एक्साइज ड्यूटी/पैन नंबर होना चाहिए।
7. उत्पादककर्ता के पास गुणवत्ता नियंत्रण के उपायों के साथ पर्याप्त मशीनरी और प्लांट होना चाहिए। उनके पास आईएसओ-9000 वैध प्रमाणपत्र का अधिकार होना चाहिए।
8. फर्म आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए। वे 2 वर्षों के लिए वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र III बी का अधिकारी होना चाहिए।



4.0 खरीद के लिए विक्रेता पंजीकरण नीति -

कोंकण रेलवे पर अन्य रेलों की तुलना में सामग्री की आवश्यकता बहुत कम है जैसाकि रोलिंग स्टॉक के सभी प्रमुख शेड्यूल जिस रेलवे का रोलिंग स्टॉक है उन्हीं के वर्कशाप में कार्यान्वित किए जाते हैं जबकि कोंकण रेलवे द्वारा केवल सेकंडरी रख-रखाव किया जाता है और कोंकण रेलवे पर कोई निर्माण गतिविधि नहीं है। इसके अलावा कोंकण रेलवे में विक्रेताओं की अनुमोदित सूची (नियमित आधार पर पंजीकृत) से बल्क के रूप में खरीद प्रतिबंधित है जिसे वर्ष में एक बार/दो बार नोडल एजेंसियों द्वारा आर.डी. एस.ओ., डी.एल.डब्ल्यू, आई.सी.एफ.आदि जैसे प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार कोंकण रेलवे नोडल एजेंसियों की वस्तुओं को छोड़कर मदों के लिए फर्मों के पंजीकरण का कार्य शुरू करेगा। इस प्रकार खरीद के लिए अपनाई गई विक्रेता पंजीकरण नीति निम्नानुसार है -

1) नोडल एजेंसियों द्वारा जारी अनुमोदित सूची में शामिल मद -

नोडल एजेंसियों द्वारा अनुमोदित विक्रेता के सभी विवेचित और सभी संबंधित महत्वपूर्ण मदों को शामिल करते हैं-

- ट्रैक रखरखाव के लिए ट्रैक फिटिंग और उपकरण आवश्यक है।
 - डीजल इंजनों, कोचिंग और वैगन आइटम।
 - सिग्नलिंग एवं दूरसंचार आइटम।
 - विद्युत इंजनों और ट्रेन प्रकाश आइटम।
 - कोच, वैगन, पुलों और सामान्य प्रयोजन के लिए पेंट्स
 - तेल और लुबरिकंट
- i) एंड टी, विद्युत, तेल और लुबरिकंट के लिए आर.डी. एस.ओ./लखनऊ एवं वैगनों, पुलों और के लिए पेंट तथा सामान्य प्रयोजनों के लिए नोडल एजेंसी हैं।
- ii) आवश्यक प्रणाली के रूप में पेंट सहित कोचिंग आइटम के अनुमोदन स्रोतों के लिए आई.सी.एफ. एक नोडल एजेंसी है।
- iii) डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी डीजल इलेक्ट्रिक लोको स्पीयर्स के लिए नोडल एजेंसी है।

नोडल एजेंसियों द्वारा जारी विक्रेता सूचियों को उनकी वेबसाइट पर निम्नानुसार देखा जा सकता है:

- आर.डी.एस.ओ. वेबसाइट: www.rdso.gov.in.
- आई.सी.एफ. वेबसाइट: www.icf.gov.in
- डी.एल.डब्ल्यू. वेबसाइट: www.diesellocoworks.com



सामग्री प्रबंधन विभाग

जो इच्छित विक्रेता विवेचित वस्तुओं की आपूर्ति करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक नोडल एजेंसियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं वे नोडल एजेंसियों के पास पहुंच कर अपना पंजीकरण कर

ऐसे महत्वपूर्ण सामान की आपूर्ति करने के इच्छुक विक्रेता, यदि अभी तक नोडल एजेंसियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं, तो वे नोडल एजेंसियों से संपर्क कर सकते हैं और अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया नोडल एजेंसियों की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

2) अन्य मदों के लिए (नोडल एजेंसियों द्वारा आइटम में शामिल नहीं)

क्षेत्रीय रेलवे में कंपनियों के विशिष्ट 4 डिजीट ट्रेड समूहों के लिए पंजीकृत हैं जबकि विशिष्ट मदों के लिए कंपनियों के डी.जी.एस.एंड डी/एन.एस.आई.सी. के साथ पंजीकृत हैं। नोडल एजेंसियों (4 डिजीट ट्रेड समूह और 8 डिजीट का पी.एल.नंबर के साथ) द्वारा मदों की सूची जिसकी खरीद अनुमोदित स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों से की जानी है वह KRCL वेबसाइट (www.konkanrailway.com) पर फर्म के मार्गदर्शन के लिए है। KRCL वेबसाइट पर प्रदर्शित आइटम के लिए ही कंपनियों को रजिस्टर करेगा. पंजीकरण प्रक्रिया निम्नानुसार है –

a. ऑटोमैटिक पंजीकरण (सिंगल पाइंट पंजीकरण)

फर्म स्वतः KRCL के साथ पंजीकृत हैं जिन मदों के लिए वे पंजीकृत हैं -

- क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों
- डी.जी.एस.एंड डी
- एन.एस.आई.सी. के साथ पंजीकृत एस.एस.आई.यूनीट (आम तौर पर पंजीकरण 2 साल के लिए वैध है)

विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि जहां आपूर्ति के स्रोत नोडल एजेंसियों द्वारा अनुमोदित नहीं हैं वे संबंधित रेलवे से संपर्क करें जिसके पास क्षेत्राधिकार है जहां फर्म का कापोरिट कार्यालय स्थित है। अपना पंजीकरण उस रेलवे के साथ करवाएं। केवल संबंधित रेलवे के साथ फर्म के पंजीकृत होने पर अगर वे कोंकण रेलवे के साथ व्यापार करने के इच्छुक हैं, वे उनका अनुरोध पत्र [प्रारूप \(ए\)](#) के (डाउनलोड फार्म पर वेबसाइट पर उपलब्ध है) विवरण के साथ रेलवे द्वारा उनके साथ पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न करके भेज सकते हैं। इसी तरह एनएसआईसी के साथ एस.एस.आई.यूनीट या डी.जी.एस.एंड डी के साथ पंजीकृत है और यदि वे कोंकण रेलवे के साथ व्यापार करने के इच्छुक हैं तो वे उनका अनुरोध पत्र एन.एस.आई.सी.डी. जी.एस.एंड डी से अपने पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र प्रारूप (ए) में संलग्न करके विवरण भेज सकते हैं। पंजीकरण के विवरण के साथ अनुरोध पत्र को एक इलेक्ट्रॉनिक फार्म में एक पीडीएफ फाइल में, कंपनी के लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जा सकता है और cos@konkanrailway.com को मेल भेज सकते हैं। हार्ड कॉपी भी पंजीकृत करके डाक द्वारा भेजी जानी चाहिए। हार्ड कॉपी की रसीद मिलने पर ई-मेल द्वारा आम तौर पर 2 हफ्तों के भीतर भेजी जानी चाहिए और आवेदन की स्थिति वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी जो फर्म द्वारा देखी जा सकती है। अनुरोध की जांच की जाएगी और यदि आदेश विचार योग्य होगा तो विक्रेता (सीमित निविदा पैल) की अनुमोदित सूची में नाम शामिल



सामग्री प्रबंधन विभाग

- किया जाएगा जिन मदों के लिए वे रेलवे/एन.एस.आई.सी./जी.एस.एंड डी के लाभ पंजीकृत हैं। वही मुद्रा सीमा और वैधता अवधि रखी जाएगी। पंजीकरण प्रक्रिया आम तौर पर 3 महीनों की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए बशर्ते कि पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- फर्म से कोई शुल्क या आवेदन फार्म की कीमत नहीं ली जाएगी जो पहले से ही एन.एस.आई.सी./डी.जी.एस.एंड डी/रेल के साथ पंजीकृत हैं।
 - हालांकि, बुलेटिन निविदा शुरू होने पर लागत वसूली जाएगी।
 - फर्म केवल उन्हीं मदों के लिए पंजीकृत है जो वेबसाइट पर प्रदर्शित हैं।

b. के.आर. मार्ग के फर्म-

यदि फर्म का कॉर्पोरेट कार्यालय के.आर.मार्ग (कोंकण रेलवे क्षेत्र पर रोहा से मंगलोर तक) पर स्थित है और KRCL को सामग्री की आपूर्ति करने में रुचि रखते हैं और पंजीकरण के मानदंडों को पूरा करते हैं वे अपना अनुरोध पूर्ण विवरण और [प्रारूप \(ए\)](#) (डाउनलोड के रूप में वेबसाइट पर उपलब्ध है) को इलेक्ट्रॉनिक रूप में, एक पीडीएफ फाइल में कंपनी के लेटरहेड पर भेज सकते हैं और cos@konkanrailway.gov.in पर मेल करें। फर्म स्पष्ट रूप से व्यापार समूह/जिन मदों के लिए पंजीकरण किया है इसे दर्शाना चाहिए। हार्ड कॉपी भी ₹.1000 /-(वापस नहीं किया जाएगा) पंजीकरण शुल्क के साथ एफ.ए.एंड सी.ए.ओ./KRCL, बेलापुर, नवी मुंबई के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट के रूप में पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए। हार्ड कॉपी की रसीद मिलने पर ई-मेल द्वारा आम तौर पर 2 हफ्तों के भीतर भेजी जानी चाहिए और आवेदन की स्थिति वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी जो फर्म द्वारा देखी जा सकती है।

हार्ड कॉपी के साथ पंजीकरण शुल्क प्राप्त होने के बाद आवेदन की जांच की जाएगी। यदि फर्म ₹.10 लाख से अधिक आदेश क्रियान्वित करने में सक्षम है और पंजीकरण मापदंड संतोषजनक है, उनके यूनीट का निरीक्षण पंजीकरण से पहले किया जा सकता है। यदि शुरू में पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं तो उन्हें बुलाया जाएगा।

यदि आवेदन सही पाया जाता है विक्रेता (सीमित निविदा पैनल) के नाम के साथ की अनुमोदित सूची में शामिल किया जा सकता है नाम के 2 वर्ष की प्रारंभिक वैधता विधिवत आइटम/मुद्रा सीमा के व्यापार समूह, जिसके लिए पंजीकरण दी जाती है। केवल वही फर्म को अनुमोदित किया जाएगा जो आमतौर पर KRCL द्वारा आवश्यक मदों के साथ डील कर रहे हैं।

पंजीकरण की प्रक्रिया आम तौर पर तीन महीने के भीतर पूरी की जाएगी बशर्ते फर्म द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। एक बार पंजीकरण की पुष्टि होने पर इन पंजीकृत फर्मों से प्राप्त निविदा में आम तौर पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा जब तक कि विशिष्ट कारण मौजूद नहीं हैं।



सामग्री प्रबंधन विभाग

5.0 फर्मों के ग्रेडेशन -

फर्म विशिष्ट व्यापार समूह/मद विधिवत के तहत फर्म के प्रत्येक वर्ग के लिए मौद्रिक सीमा तय करने के लिए पंजीकृत की जाती।

श्रेणी	मौद्रिक सीमा (खरीद आदेशों को क्रियान्वित करने की क्षमता)
ए	40 लाख रू. से अधिक
बी	10 लाख रू. से 40 लाख रू. के बीच
सी	05 लाख रू. से 10 लाख रू. के बीच
डी	1 लाख रू. से 5 लाख रू. के बीच
ई	1 लाख रू. तक

- मौद्रिक सीमा तय करने के लिए अपनाए गए पहलू निम्नानुसार है -
 - प्लांट और मशीनरी
 - एन.एस.आई.सी.पंजीकरण
 - बैंकर्स के रिपोर्ट
 - तुलन पत्र और लाभ और हानि खाते से वित्तीय जानकारी
 - उत्पादन क्षमता
 - पिछले 3 वर्षों में इसी तरह व्यापार समूह के लिए निष्पादित आदेश के मूल्य।

6.0 पंजीकरण के लाभ

- जब बुलेटिन निविदाएं मुद्रित फॉर्म में आवश्यक सामग्री के साथ प्रकाशित की जाती है तब इसे पंजीकृत कंपनियों को भेजा जाता है।
- पंजीकृत व्यापार समूहों/मदों हेतु विनिर्दिष्ट मौद्रिक सीमा के लिए .एम.डी./एस.डी. माफ की जाती है।
- अन्य रेलवे के साथ स्वतःपंजीकरण।
- फर्म मौद्रिक सीमा से अधिक के लिए या अन्य मदों के समूहों के लिए प्रथम दृष्टिया पात्र होने पर जमा सुरक्षा लेकर आदेश प्राप्त कर सकते हैं।

7.0 विक्रेता मूल्यांकन:

व्यापार समूह/आइटम वार 3 वर्ष की अवधि में प्रस्तुत खरीद आदेशों पर मूल्यांकन आधारित है। आगे शर्तों में यह शामिल है कि विक्रेता मूल्यांकन 40,000 /- रुपये से कम खरीद आदेशों के लिए आवधिकतानुसार साल में एक बार लागू नहीं होने चाहिए। कोकण रेलवे में खरीद प्रक्रिया भाग लेने वाले विक्रेताओं के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन निम्नलिखित चार प्रमुख मानकों पर किया जा सकता है।



सामग्री प्रबंधन विभाग

गुणवत्ता और डिलिवरी : वर्तमान में कार्य निष्पादन का मूल्यांकन व्यक्तिपरक आधार पर किया जाएगा। मामलों बार-बार विलंब होने की स्थिति खराब स्थिति दर्शाएगी। अस्वीकृति को गंभीरता से लिया जा सकता है। अस्वीकृति के आधार पर या अस्वीकृति के मामले दोहराने पर विक्रेता रेटिंग पर प्रतिकूल असर होगा। खरीद आदेश का कार्यान्वयन न होने पर इसे प्रतिकूल निष्पादन मानते इसको डिफ़ॉल्ट रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

क्रय अधिकारी द्वारा खरीद फ़ाइल पर डिफ़ॉल्ट टिप्पणी/प्रतिकूल कार्य निष्पादन के लिए स्पष्ट आदेश रिकॉर्ड करने चाहिए। फर्म लगातार कोटिंग करता रहा और आदेश प्राप्त नहीं किया तो इसे खराब कार्य निष्पादन के रूप में माना जाएगा।

8.0 अनुमोदित आपूर्तिकर्ता का नवीकरण

के.आर. मार्ग पर प्रारंभिक फर्मों का पंजीकरण दो साल की अवधि के लिए किया जाता है और उसके बाद पंजीकरण का नवीकरण फर्म के अनुरोध पर फर्म द्वारा पिछले कार्यनिष्पादन के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है या कोंकण रेलवे के पास विक्रेता के मूल्यांकन के बाद उपलब्ध डेटा से किया जाएगा। यदि फर्म अन्य रेलवे के साथ पंजीकृत है तो यह पंजीकृत विक्रेता की जिम्मेदारी है कि वे अपना पंजीकरण पहले से ही करा लें और कोंकण रेलवे के पास उनके पंजीकरण के नवीकरण के लिए सत्यापित नवीकरण की प्रति प्रस्तुत करेंगे। नवीकरण अवधि 3 साल के लिए या अन्य एजेंसियों को प्रदान की गई नवीकरण की अवधि होगी।

नवीकरण के आधार पर अनुमोदित विक्रेता की एक सूची अधिमानतः कैलेंडर वर्ष की शुरुआत में प्रतिवर्ष अद्यतन की जाएगी और इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

9.0 डी-पंजीकरण/पंजीकरण हटाना

- भंडार नियंत्रक द्वारा किसी भी निम्नलिखित कारणों से फर्म को डी पंजीकृत किया जा सकता है
- फर्म के तकनीकी-वाणिज्यिक कार्यनिष्पादन लंबे समय के लिए उनपर आदेश प्रस्तुत करने के बाद लगातार असंतोषजनक पाए जाने पर।
- फर्म किसी भी कारण से वैध खरीद आदेश में सामग्री की आपूर्ति करने में विफल रहने पर।
- फर्म लगातार अस्पष्ट और भ्रामक ऑफर प्रदान करता है या वैधता से पहले ऑफर वापस लेता है।
- फर्म किसी भी अनैतिक वाणिज्यिक व्यवहार को अपनाता है।
- फर्म के नवीकरण के लिए आवश्यक समय पर आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल रहता है।
- फर्म जो कार्टेल में बोली लगाता है और कार्टेल गठन में संदेह होने पर भारत के (सी.सी.आई.), नई दिल्ली को सूचित किया जा सकता है।



सामग्री प्रबंधन विभाग

10.0 ब्लैक लिस्टिंग

एक पंजीकृत फर्म एक सीमित अवधि या अनिश्चित अवधि के लिए किसी भी कारणों से ब्लैक लिस्ट में जा सकती हैं

- यदि रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि रूप में गैर-आचरण का दोषी पाया जाने पर।
- यदि मालिकों, भागीदारों, फर्म के कर्मचारियों आदि के व्यापार के प्रति वफादारी सहित व्यवहार या सुरक्षा कारणों के संबंध में नैतिक भ्रष्टता से जुड़े अपराधों के लिए दोषी हैं।
- यदि फर्म लगातार सरकार को पर्याप्त कारणों के बिना बकाया भुगतान करने के लिए मना कर रही है।

11.0 फर्म का प्रतिबंध/निलंबन

- फर्म को एक विशिष्ट अवधि के लिए व्यापार में निपटने के लिए कदाचार की गंभीरता के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- फर्म को एक विशिष्ट अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है जब व्यापार करने के लिए कई आदेश कार्यान्वयन के लिए लंबित है तथा सुविधाओं में कमी। रिश्वतखोरी में शामिल। भ्रष्टाचार, अनैतिक तरीके जैसे कार्टेल के गठन आदि।

12.0 श्रेणी की वृद्धि या समूह/वर्ग के व्यापार बढ़ने के लिए अनुरोध -

फर्म के नवीकरण के समय ही अनुरोध का समाधान किया जाएगा बशर्ते कि अनुरोध के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं।

13.0 पते में परिवर्तन के लिए अनुरोध -

पते में परिवर्तन के लिए अनुरोध तभी स्वीकार किए जाएंगे जब किराया रसीद, नए पते में लीज डीड, नए पते पर बिक्री कर प्रमाणपत्र, बिजली/टेलीफोन बिल और एन.एस.आई.सी.प्रमाणपत्र(लघु उद्योग इकाई के लिए) इस तरह के आवश्यक दस्तावेज नोटरी द्वारा विधिवत् साक्षात्कृत और सही पाए जाएंगे।

14.0 फर्म की व्यवस्था में परिवर्तन के लिए अनुरोध -

आम तौर पर निम्नलिखित प्रकार के अनुरोध प्राप्त हो सकते हैं -

- i) स्वामित्व साझेदारी में बदलाव और इसी समान का कार्य
- ii) लिमिटेड कंपनी से स्वामित्व/साझेदारी में बदलाव और इसी समान का कार्य या पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड
- iii) इस रेलवे के साथ पंजीकृत फर्म का दूसरे फर्म के साथ विलय।
- iv) इस रेलवे के साथ पंजीकृत फर्म द्वारा फर्म का अधिग्रहण।
- v) फर्म के नाम में बदलाव।
- vi) साझेदारी में बदलाव अर्थात् सेवानिवृत्ति या नए भागीदारों का एसोसिएशन।



सामग्री प्रबंधन विभाग

अनुरोध तभी स्वीकार किए जाएंगे जब फार्म 'ए' के साथ साझेदारी डीड आर्टिकल तथा एसोसिएशन ज्ञापन, करार डीड त्रिपक्षीय करार, संकल्प और बिक्री कर प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि अनुरोध के अनुसार प्रस्तुत नई व्यवस्था के अनुसार एन.एस.आई.सी. प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करने पर अनुरोध स्वीकार किया जाएगा। परिवर्तन होने से पहले विधि अधिकारी द्वारा कानूनी दस्तावेजों को पुनरीक्षित किया जाएगा।

15.0 दंडात्मक कार्रवाई के लिए प्रक्रिया

कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से पहले फर्म को कारण बताओ नोटिस विधिवत कारण का उल्लेख करते हुए, उत्तर के लिए पर्याप्त समय की अनुमति जारी की जाएगी। उत्तर के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे की कार्रवाई का फैसला किया जा सकता है।

16.0 बिक्री निविदा के लिए फर्म का पंजीकरण

क्षेत्रीय रेलों पर स्क्रेप उत्पन्न की तुलना में कोंकण रेलवे पर उत्पन्न होने वाली स्क्रेप बहुत कम है। इसलिए वर्तमान में स्क्रेप निपटान की बिक्री टेंडर के माध्यम से ही की जाती है। जो विक्रेता स्क्रेप सामग्री खरीदने में रुचि रखते हैं/बिक्री निविदा में भाग लेना चाहते हैं वे स्वयं को कोंकण रेलवे के साथ पंजीकृत कर लें इसके लिए सामग्री प्रबंधन विभाग बेलापुर में अपने लेटरहेड पर [प्रारूप \(बी\)](#) के अनुसार विवरण देते हुए आवेदन करें जो (www.konkanrailway.com) वेबसाइट पर डाउनलोडेबल रूप में उपलब्ध है। फर्म द्वारा स्पष्ट रूप से जिस व्यापार समूह/मद के लिए पंजीकरण किया है उसे दर्शाएं। पंजीकृत डाक द्वारा हार्ड कॉपी के साथ डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ₹.1000/¹ (गैर वापसीयोग्य) का पंजीकरण शुल्क "एफ.ए.एंड.सी.ए.ओ./कोंकण रेलवे, बेलापुर, नवी मुंबई" के नाम भेजा जाए।

पंजीकरण शुल्क के साथ हार्ड कॉपी की प्राप्ति होने के बाद अनुरोध की जांच की जाएगी। यदि अनुरोध माना जाता है तो खरीदारों की अनुमोदित सूची (सीमित निविदा पैनल) के साथ 2 साल की प्रारंभिक वैधता मौद्रिक सीमा सहित मदों की सूची/व्यापार समूह जिसके लिए पंजीकरण की स्वीकृती दी गई है का नाम सम्मिलित किया जाएगा।

पंजीकरण प्रक्रिया आम तौर पर 3 महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी बशर्ते पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई है।

16.1 खरीद के लिए विक्रेता पंजीकरण के लिए जो उल्लेखित किया गया है वह नवीकरण की प्रक्रिया और अन्य दंडात्मक कार्रवाई को समान होगा।



सामग्री प्रबंधन विभाग

17.0 संपर्क पता

कोकण रेलवे के साथ पंजीकरण के लिए कृपया आप इनसे संपर्क करें:

(1)	(2)
उप. मुख्य सामग्री प्रबंधक (परियोजना)	उप. मुख्य सामग्री प्रबंधक (समन्वय)
कोकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड सामग्री प्रबंधन विभाग बेलापुर भवन, प्लॉट सं.6 सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर नवी मुंबई - 400 614	कोकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड सामग्री प्रबंधन विभाग बेलापुर भवन, प्लॉट सं.6 सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर नवी मुंबई - 400 614
दूरभाष 022-27587389 मोबा. 9004470397	दूरभाष 022-27587384 मोबा. 9004470496
ई-मेल - dycmm.jesudass@krcl.co.in	ई-मेल - dycmm.sitaram@krcl.co.in

- i) प्रारूप ए
- ii) प्रारूप बी
- iii) पंजीकरण के लिए फॉर्मेट का अनुरोध

भंडार नियंत्रक
कोकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड